

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 851]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2009/ज्येष्ठ 6, 1931

No. 8511

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2009/JYAISTHA 6, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2009

का.आ. 1357(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 30 मई, 2008 में का.आ. 1270(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,---

- (i) क्रम संख्या (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
 - ''(2) श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

-सदस्य, (28-5-2009 तक पद धारण करेंगे) [धारा 210 क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]'';

- (ii) क्रम संख्यांक (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
 - ''(12) श्रीमती रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

--सदस्य, (28-5-2009 तक पद धारण करेंगी) [धारा 210 क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]''।

[फा. सं. 1/5/2001-सी.एल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना का.आ. 1270(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संख्यांक का.आ. 2266(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधित और संख्यांक का.आ. 144(अ), तारीख 14 जनवरी, 2009 द्वारा और संशोधित और संख्यांक का.आ. 903(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009 द्वारा और भी संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2009

S.O. 1357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 30th May, 2008, vide number S.O.1270(E), dated the 30th May, 2008, namely:—

In the said notification,---

- (i) for serial number (2) and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—
 - "(2) Shri Uttam Prakash Agarwal, President of the Institute of Chartered Accountants of India

—Member, (shall hold office up to 28-5-2009) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]";

- (ii) for serial number (12) and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—
 - "(12) Smt. Renuka Kumar, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs

—Member, (shall hold office up to 28-5-2009) [nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 210A]".

[F. No. 1/5/2001-CL.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published *vide* number S.O. 1270(E), dated the 30th May, 2008 and subsequently amended *vide* number S.O. 2266(E), dated the 25th September, 2008 and further amended *vide* number S.O. 144(E), dated the 14th January, 2009 and also further amended *vide* number S.O. 903(E), dated 2nd April, 2009.